अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवादित। - www.onlinedoctranslator.com

व्यापार की योजना

आय सृजन गतिविधि - वर्मी-कम्पोस्ट

द्वारा

दुर्गा - स्वयं सहायता समूह

SHG/CIG का नाम	,	दुर्गा माता
वीएफडी का नाम	,	जानी
श्रेणी	,	भाभा नगर
विभाजन	,	किन्नौर

इसके अंतर्गत तैयार:

हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए परियोजना
प्रबंधन एवं आजीविका (जेआईसीए सहायता प्राप्त)

विषयसूची

सीनियर नहीं।	विवरण	पृष्ठ/पृष्ठों
1	पृष्ठभूमि	3-4
2	एसएचजी/सीआईजी	4-5
3	लाभार्थियों का विवरण	5
4	गाँव का भौगोलिक विवरण	6
5	आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण	6
6	उत्पादन प्रक्रियाएं	6-7
7	उत्पादन योजना	7
8	बिक्री और विपणन	7
9	स्वोट अनालिसिस	8
10	सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण	8
11	अर्थशास्त्र	9-10-11
12	आर्थिक विश्लेषण का निष्कर्ष	12
13	निधि आवश्यकताएँ	12
14	निधि के स्रोत	12-13
15	बैंक ऋण चुकौती	13
16	प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन	13
17	निगरानी विधि	13
18	समूह सदस्य फ़ोटो	14-15

1. पृष्ठभूमि

जैविक खेती को बढ़ावा देने में वर्मीकल्चर एक महत्वपूर्ण घटक है और हिमाचल प्रदेश सरकार बड़े पैमाने पर वर्मीकम्पोस्ट के उत्पादन पर विशेष जोर दे रही है। वर्मीकंपोस्टिंग प्रक्रिया केंचुओं की मदद से कुछ ही दिनों में हमें उच्च गुणवत्ता वाली खाद तैयार कर देती है। ये रेंगने वाले जीव सबसे उपयोगी माली होते हैं। ये केंचुओं की मृत वनस्पतियों और अन्य जैविक अपशिष्टों को विघटित करते हैं, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान, केंचुओं का पुनर्जनन भी होता है और उनकी संख्या लगभग दस हफ़्तों में कई गुना बढ़ जाती है। कम्पोस्ट तब तैयार होता है जब सामग्री थोड़ी ढीली और भुरभुरी हो और उसका रंग गहरा भूरा हो। यह काला, दानेदार, हल्का और ह्यूमस युक्त हो जाता है।

हाल के दिनों में, सरल उत्पादन तकनीकों, इससे जुड़े पारिस्थितिक, आर्थिक और मानव स्वास्थ्य लाभों के कारण, वर्मीकंपोस्टिंग ने देश में अपनी मज़बूत पकड़ बना ली है। उद्यमियों द्वारा, सरकारी सहायता/गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के तकनीकी मार्गदर्शन में, विशेष रूप से देश के दक्षिणी और मध्य भागों में, बड़ी संख्या में वर्मीकंपोस्टिंग इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार भी स्थानीय लोगों को वर्मीकंपोस्टिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और किसानों को सब्सिडी दे रही है। हिमाचल प्रदेश का वन विभाग भी इस तकनीक का उपयोग वनीकरण गतिविधियों के लिए स्थापित की जा रही नर्सरियों के लिए खाद उपलब्ध कराने हेतु कर रहा है।

वर्मीकंपोस्टिंग के प्रत्यक्ष पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ हैं क्योंकि यह स्थायी कृषि उत्पादन और किसानों की आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कई गैर-सरकारी संगठन, समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), ट्रस्ट आदि हैं जो इसके स्थापित आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों के कारण वर्मीकंपोस्टिंग तकनीक को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं।

कृमि खाद

वर्मीकंपोस्टिंग प्रक्रिया हमें कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली खाद प्रदान करती है, और यह केंचुओं की मदद से संभव होता है। ये "रेंगने वाले" जीव बागवानों के लिए सबसे उपयोगी होते हैं।

वे मृत पौधों के अवशेषों और अन्य जैविक अपशिष्टों को विघटित करते हैं, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं, और मिट्टी को पलट देते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान, कीड़े पुनर्जीवित भी होते हैं और लगभग 10 हफ़्तों में उनकी संख्या दोगुनी हो जाती है। खाद तब तैयार होती है जब सामग्री मध्यम रूप से ढीली और भुरभुरी हो, और खाद का रंग गहरा भूरा हो। यह काली, दानेदार, हल्की और ह्यूमस युक्त हो जाती है। केंचुओं को दोमट मिट्टी में डाला जाता है, जहाँ कीड़े अपना घर बना लेते हैं। लगभग 100 केंचुओं (महामारी और रक्तहीनता के संयोजन) को लगभग 4 मीटर x 1 मीटर x 0.5 मीटर के खाद गड्ढे में डाला जाना चाहिए। वर्मीबेड को हमेशा नम रखा जाना चाहिए, लेकिन कभी भी पानी नहीं भरना चाहिए।

फिर कृमि-बिस्तर पर मुट्ठी भर ताज़ा गोबर के ढेर बेतरतीब ढंग से बिछा दिए जाते हैं। फिर कम्पोस्ट के गड्ढे को लगभग 50 मिमी गहरी सूखी पत्तियों या बेहतर होगा कि कटी हुई घास/भूसे से परतदार बनाया जाता है। अगले 30 दिनों तक, आवश्यकतानुसार पानी देकर गड्ढे को नम रखा जाता है। क्यारी न तो सूखी होनी चाहिए और न ही गीली। पक्षियों को दूर रखने के लिए गड्ढे को नारियल या ताड़ के पत्तों या पुराने जूट के बोरे से ढक दिया जा सकता है। क्यारी पर प्लास्टिक की चादरें रखने से बचना चाहिए क्योंकि वे गर्मी को रोक लेती हैं।

पहले 30 दिनों के बाद, जैसा कि ऊपर बताया गया है, रसोईघर, होटल, छात्रावास या खेत से प्राप्त पशु और/या वनस्पति मूल के गीले जैविक अपशिष्ट, जो पहले से पच चुके हैं, को लगभग 50 मिमी की मोटाई तक इस पर फैला दिया जाता है। इसे सप्ताह में दो बार दोहराया जा सकता है। इन सभी जैविक अपशिष्टों को समय-समय पर कुदाल या कुदाल से पलटा या मिलाया जा सकता है। ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस कृमि-बिस्तर में कीड़े रहते हैं, उसे नुकसान न पहुँचे। जब तक कम्पोस्ट का गड्ढा लगभग भर न जाए, तब तक कचरा डालते रहें। गड्ढे को अगले 30 से 45 दिनों तक नम रखना जारी रखें, और कीड़ों को चोट पहुँचाने से बचाने के लिए गड्ढे में सामग्री को सावधानी से पलटते रहें। कांटेदार कुदाल की मदद से हर पाँचवें या सातवें दिन पलटा जा सकता है।

केंचुओं के पालन/उपयोग द्वारा खाद बनाने को वर्मी कम्पोस्टिंग तकनीक कहते हैं। इस तकनीक में, केंचुए जैव-भार खाते हैं और उसे पचाकर उत्सर्जित करते हैं, जिसे वर्मी कम्पोस्टिंग या वर्मी कम्पोस्ट कहते हैं। यह छोटे और बड़े, दोनों तरह के किसानों के लिए खाद बनाने की सबसे सरल और किफ़ायती विधियों में से एक है। वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई किसी भी ऐसी भूमि पर स्थापित की जा सकती है जिसका कोई आर्थिक उपयोग न हो, लेकिन छायादार और जल जमाव से मुक्त हो। यह स्थान जल संसाधन के निकट भी होना चाहिए।

वर्मीकंपोस्टिंग, जिसे "कचरे से सोना" कहा जाता है, जैविक कृषि उत्पादन का प्रमुख साधन है। सरल तकनीक के कारण, कई किसान वर्मीकंपोस्टिंग उत्पादन में लगे हुए हैं क्योंकि यह मृदा स्वास्थ्य और उत्पादकता को बेहतर बनाता है जिससे खेती की लागत कम होती है।

पोषक तत्वों की उच्च मात्रा के कारण वर्मी कम्पोस्ट की मांग में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है।

2.एसएचजी/सीआईजी

SHG/CIG का नाम	,	दुर्गा माता
वीएफडीएस	,	जानी
श्रेणी	,	भाभा नागर
विभाजन	,	किन्नौर
गाँव	,	जानी
अवरोध पैदा करना	,	भाभा नागर
ज़िला	,	किन्नौर
एसएचजी में सदस्यों की कुल संख्या	,	11(सभी महिला)
गठन की तिथि	,	7वांजनवरी, 2022(
बैंक खाता सं.	,	13210110033012
बैंक विवरण	,	यूको बैंक टपरी
SHG/CIG मासिक बचत	,	100 रुपये (प्रत्येक 5 दिन में एक बैठक आयोजित की जाएगी)वां महीने का दिन)
कुल बचत		
कुल अंतर-ऋण		
नकद क्रेडिट सीमा		
पुनर्भुगतान स्थिति		

3.लाभार्थी विवरण:

क्रम. नहीं	नाम श्रीमती/कुमारी	पिता/ पति का नाम श।	आयु	श्रेणी य	आय स्रोत	पता
1	श्रीमती सुनीता देवी	श। जय प्रकाश	50	अनुसूचित जनजाति	कृषि ई	वीपीओ जानी वार्ड नंबर 3 (प्रधान) 82194-32228
2	श्रीमती जयवंती	श। परमीत कुमार	36	अनुसूचित जनजाति	कृषि ई	वीपीओ जानी वार्ड नं. 3 (सचिव) 98053-18402
3	श्रीमती राजेश्वरी श्री	विनय 60 सिंह		अनुसूचित जनजाति	कृषि ई	वीपीओ जानी वार्ड नं. 3
4	श्रीमती छेरिंग डोल्मा	श। टक्कर मारना कुमार	49	अनुसूचित जनजाति	कृषि ई	वीपीओ जानी वार्ड नं. 3
5	श्रीमती सुदेश कुमारी	श। बलवंत सिंह	44	अनुसूचित जनजाति	कृषि ई	वीपीओ जानी वार्ड नं. 3
6	श्रीमती हरपति	श्री राजन सिंह	50	अनुसूचित जनजाति	कृषि ई	वीपीओ जानी वार्ड नं. 3
7	श्रीमती किरण कुमारी	श। प्रदीप कुमार	30	अनुसूचित जनजाति	कृषि ई	वीपीओ जानी वार्ड नं. 3
8	श्रीमती राम कुमारी	श। भगवानल अल	37	अन्य पिछड़ा वर्ग	कृषि ई	वीपीओ जानी वार्ड नं. 3
9	श्रीमती निकिता	श्री अजीत सिंह	19	अनुसूचित जनजाति	कृषि ई	वीपीओ जानी वार्ड नं. 3
10	श्रीमती कविता	श्री हरीश चंदर	30	अनुसूचित जनजाति	कृषि ई	वीपीओ जानी वार्ड नं. 3
11	श्रीमती राम देवी	श्री प्रेम चंद	50	अनुसूचित जाति	कृषि ई	वीपीओ जानी वार्ड नं. 3

4. गाँव का भौगोलिक विवरण

4.1 जिला मुख्यालय से दूरी	,	40 किमी
4.2 मुख्य सड़क से दूरी	,	एनएच 5 से 6 किमी
4.3 स्थानीय बाजार का नाम एवं दूरी	,	टपरी-7 किमी, भाबा नगर-25 किमी, रिकांग पियो-40 किमी
4.4 मुख्य बाजार का नाम एवं दूरी		टापरी - 7 किमी
4.5 मुख्य शहरों के नाम एवं दूरी		रिकांग पिओ - 40 किमी
4.6 मुख्य शहरों के नाम जहां उत्पाद बेचा जाएगा, बेचा / विपणन किया गया		हिमाचल प्रदेश वन विभाग और ऊपरी किन्नौर

5. आय सृजन गतिविधि से संबंधित उत्पाद का विवरण

5.1उत्पाद का नाम	,कृमि खाद	
5.2उत्पाद पहचान की विधि	,	यह गतिविधि समूह के सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से तय की गई है।
5.3एसएचजी/सीआईजी/क्लस्टर की सहमति , सदस्यों		हाँ

6.बी बीउत्पादन प्रक्रियाओं का विवरण

कदम		विवरण
स्टेप 1	,	प्रसंस्करण में अपशिष्टों का संग्रहण, कतरना, धातु, कांच और चीनी मिट्टी के बर्तनों का यांत्रिक पृथक्करण और जैविक अपशिष्टों का भंडारण शामिल है।
चरण दो	,	जैविक अपशिष्ट को मवेशियों के गोबर के घोल के साथ ढेर करके बीस दिनों तक पूर्व-पाचन किया जाता है। इस प्रक्रिया से सामग्री आंशिक रूप से पच जाती है और केंचुओं के खाने योग्य हो जाती है। मवेशियों के गोबर और बायोगैस घोल को सुखाने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। गीले गोबर का इस्तेमाल वर्मी-कम्पोस्ट बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
चरण-3	,	केंचुआ बिस्तर तैयार करना। वर्मी-कम्पोस्ट तैयार करने के लिए अपशिष्ट डालने हेतु एक ठोस आधार की आवश्यकता होती है। ढीली मिट्टी के कारण केंचुए मिट्टी में जा सकते हैं और पानी देते समय, सभी घुलनशील पोषक तत्व पानी के साथ मिट्टी में चले जाते हैं।
चरण 4	,	वर्मी-कम्पोस्ट संग्रहण के बाद केंचुओं का संग्रहण। पूरी तरह से कम्पोस्ट हो चुकी सामग्री को छानकर अलग कर लें। आंशिक रूप से कम्पोस्ट हुई सामग्री को फिर से वर्मी-कम्पोस्ट बेड में डाल दें।
चरण-5	,	नमी बनाए रखने और लाभकारी सूक्ष्मजीवों को विकसित होने देने के लिए वर्मी-कम्पोस्ट को उचित स्थान पर संग्रहित करें।

7. उत्पादन योजना का विवरण

7.1 उत्पादन चक्र (दिनों में)	,90	दिन (एक वर्ष में तीन चक्र)
7.2 प्रति चक्र आवश्यक जनशक्ति,1 (सं.)		
7.3 कच्चे माल के स्रोत	,	घरों और अपने खेतों से
7.4 अन्य संसाधनों के स्रोत	,	मुक्त बाज़ार
7.5 कच्चा माल - प्रति चक्र प्रति सदस्य आवश्यक मात्रा (किग्रा)	,	1800 किग्रा प्रति चक्र
7.6 प्रति चक्र अपेक्षित उत्पादन,प्रति सदस्य चक्र (किग्रा)	900	किलोग्राम प्रति

8. विपणन/बिक्री का विवरण

8.1संभावित बाज़ार स्थान	,	हिमाचल प्रदेश वन विभाग स्थानीय बाजार अपने खेत पर उपयोग करें
8.2 इकाई से दूरी	,	
8.3उत्पाद बाज़ार/स्थानों की मांग	में,हिमाचल प्रदेश वन विभाग भारी मात्रा में वर्मी खरीद रहा है- अपनी नर्सरियों के लिए खाद	
8.4बाजार पहचान की प्रक्रिया	का,पीएमयू के गठजोड़ से सुविधा होगी हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित वर्मी-कम्पोस्ट की खरीद।	
8.5उत्पाद की विपणन रणनीति		भविष्य में बेहतर बिक्री मूल्य के लिए स्वयं सहायता समूह के सदस्य अपने गांवों के आसपास अतिरिक्त विपणन विकल्पों की भी तलाश करेंगे।
8.6उत्पाद ब्रांडिंग		सीआईजी/एसएचजी स्तर पर उत्पाद का विपणन संबंधित सीआईजी/एसएचजी की ब्रांडिंग द्वारा किया जाएगा। बाद में, इस आईजीए को क्लस्टर स्तर पर ब्रांडिंग की आवश्यकता हो सकती है।
8.7उत्पाद "नारा"		"प्रकृति के अनुकूल"

9. SWOT-विश्लेषण

, **ताकत**

,कुछ एसएचजी सदस्यों द्वारा पहले से ही गतिविधि की जा रही है

,प्रत्येक एसएचजी सदस्य के पास प्रत्येक घर में 2 से 8 तक मवेशी हैं।

,स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के परिवार उच्च मूल्य वाली फसलों और सब्जियों की खेती कर रहे हैं, जिससे पूरे वर्ष कच्चे माल यानी कृषि जैविक अपशिष्ट की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहती है।

,उनके खेतों में कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है

,विनिर्माण प्रक्रिया सरल है

,उचित पैकिंग और परिवहन में आसान

,परिवार के अन्य सदस्य भी लाभार्थियों के साथ सहयोग करेंगे

,उत्पाद का स्वयं-जीवन लंबा है

, **कमजोरी**

,विनिर्माण प्रक्रिया/उत्पाद पर तापमान, आर्द्रता, नमी का प्रभाव।

,तकनीकी जानकारी का अभाव

, **अवसर**

,जैविक और प्राकृतिक खेती के बारे में किसानों में जागरूकता के कारण वर्मी-कम्पोस्ट की मांग बढ़ रही है।

,अपने खेत में वर्मी-कम्पोस्ट का प्रयोग करने से मृदा स्वास्थ्य में सुधार और वृद्धि होगी तथा गुणवत्तापूर्ण कृषि उपज का उत्पादन होगा, जिससे बेहतर मूल्य मिलेगा।

,रसोई से बचे हुए घरेलू कचरे सहित जैविक कचरे का सर्वोत्तम उपयोग

,एचपी फॉरेस्ट के साथ विपणन गठजोड़ की संभावना

, **खतरे/जोखिम**

,अत्यधिक मौसम के कारण उत्पादन चक्र के टूटने की संभावना

,प्रतिस्पर्धी बाजार

,प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण एवं कौशल उन्नयन में भागीदारी के प्रति लाभार्थियों में प्रतिबद्धता का स्तर

10. सदस्यों के बीच प्रबंधन का विवरण

,**उत्पादन-**कच्चे माल की खरीद सहित इसका ध्यान व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा रखा जाएगा

,**गुणवत्ता आश्वासन-**समग्र रूप से

,**सफाई और पैकेजिंग –**समग्र रूप से

,**विपणन-**समग्र रूप से

,**इकाई की निगरानी-**समग्र रूप से

11. अर्थशास्त्र का विवरण

(वास्तविक राशि रुपये में)

क्रम संख्या	विवरण	इकाइयों	मात्रा / संख्या	लागत (रु.)	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 4	वर्ष 5
A. पूंजीगत लागत									
A.1 गड्ढे और शेड का निर्माण									
1	शेड सहित निर्माण एवं श्रम लागत (आकार 20 फीट X 4 फीट X 2 फीट होगा)	प्रति सदस्य	11	11000	168000	0	0	0	0
2	लोहे के कोण के साथ कवर शेड का निर्माण	प्रति सदस्य	11	8000	112000				
	उप-योग (A.1)				**280000**	**0**	**0**	**0**	**0**
.2	**यंत्रावली और उपकरण**								
3	औज़ार, उपकरण, तौल तराजू आदि।	प्रति सदस्य	11	3000	33000	0	0	0	0
	उप-योग (A.2)				**33000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	कुल पूंजीगत लागत (A.1+A.2)				**313000**	**0**	**0**	**0**	**0**

बी	**आवर्ती लागत**								
4	बीज केंचुआ	प्रति किलोग्राम	28	500	14000	0	0	0	0
5	घोल/गोबर/अपशिष्ट की खरीद की लागत	टन	160	900	144000	151200	158760	166698	175032
6	श्रम लागत	प्रति टन	80	700	56000	58800	61740	64828	68068
7	पैकिंग सामग्री	नहीं।	10000	2	20000	21000	22050	23152	24310
8	अन्य हैंडलिंग शुल्क	प्रति टन	80	150	12000	12600	13230	13892	14586
सी	**अन्य शुल्क**								
9	बीमा	एल/एस			0	0	0	0	0
10	ऋण पर ब्याज	प्रतिवर्ष		2 प्रतिशत	0	0	0	0	0
	कुल आवर्ती लागत				**246000**	**243600**	**255780**	**268570**	
	कुल लागत - पूंजीगत और आवर्ती				**559200**	**243600**	**255780**	**268570**	**281996**
डी	**वर्मीकंपोस्टिंग से आय**								
11	**वर्मीकम्पोस्ट की बिक्री**	टन	80	**6000**	**480000**	**514000**	**529200**	**555660**	**583444**
12	**केंचुओं की बिक्री**					**14000**	**28000**	**28000**	**28000**

13	**कुल मुनाफा**				**480000**	**528000**	**557200**	**583660**	**611444**
14	शुद्ध रिटर्न (डीसी)				- 79200	284400	301420	315090	329448	

टिप्पणीचूंकि श्रम कार्य स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा स्वयं किया जाएगा तथा स्लरी/गोबर/अपशिष्ट उनके स्थान पर पहले से ही उपलब्ध होगा तथा इन सामग्रियों की खरीद उनके द्वारा नहीं की जाएगी, इसलिए आवर्ती लागत (श्रम लागत, स्लरी/गोबर/अपशिष्ट की खरीद की लागत) को कुल आवर्ती लागत से घटाया जा सकता है।

आर्थिक विश्लेषण

विवरण	**वर्ष 1**	**वर्ष 2**	**वर्ष 3**	**वर्ष 4**	**वर्ष 5**	
पूंजीगत लागत	**313000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
आवर्ती लागत	**246000**	**243600**	**255780**	**268570**	**281996**	
कुल लागत	559000	**243600**	**255780**	**268570**	**281996**	**1608946**
कुल लाभ	**480000**	**528000**	**557200**	**583660**	**611444**	**2760304**
शुद्ध लाभ	79000	284400	301420	315090	329448	1309358
लागत का शुद्ध वर्तमान मूल्य @15 प्रतिशत	**1608946**					
लाभ का शुद्ध वर्तमान मूल्य @15 प्रतिशत	**2760304**					
लाभ लागत अनुपात	**1.71**					

शुद्ध लाभ का वितरण –उत्पादन में हिस्सेदारी के अनुसार.

12. आर्थिक विश्लेषण के निष्कर्ष

,प्रत्येक सदस्य के लिए गड्ढे का आकार 20X4X2 फीट निर्धारित किया गया है।

,वर्मी-कम्पोस्ट के उत्पादन की लागत 3.2 रुपये प्रति किलोग्राम आती है

,वर्मी-कम्पोस्ट (संरक्षित पक्ष) की बिक्री 6 रुपये प्रति किलोग्राम है

,शुद्ध लाभ 2.8 रुपये प्रति किलोग्राम होगा

,यह प्रस्तावित है कि प्रत्येक सदस्य प्रति वर्ष 5.4 टन वर्मी-कम्पोस्ट का उत्पादन करेगा, जिसके परिणामस्वरूप एक वर्ष में स्वयं सहायता समूह के सभी 11 सदस्यों द्वारा 80 टन वर्मी-कम्पोस्ट का उत्पादन किया जाएगा।

,केंचुए की कीमत ₹500.00 प्रति किलोग्राम रखी गई है

,दूसरे वर्ष के बाद, बिक्री के लिए मिट्टी का अधिशेष उपलब्ध होगा (क्योंकि वर्मी-कम्पोस्ट के उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान इसकी मात्रा बढ़ जाएगी)

,वर्मी-कम्पोस्ट बनाना एक लाभदायक आईजीए है और इसे स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा अपनाया जा सकता है।

13. निधि की आवश्यकता:

क्र.सं.	विवरण	कुल राशि (रु.)	परियोजना सहायता	स्वयं सहायता समूह योगदान
1	कुल पूंजीगत लागत	313000	234,750	78250
2	कुल आवर्ती लागत	246000	0	246000
3	प्रशिक्षण/ क्षमता भवन/कौशल उन्नयन	50000	50000	0
	कुल =	**609000**	**284750**	**324250**

टिप्पणी-

- **पूंजीगत लागत-**पूंजीगत लागत का 75% परियोजना के अंतर्गत तथा 25% स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन किया जाएगा
- **आवर्ती लागत-**एसएचजी/सीआईजी द्वारा वहन किया जाएगा।
- **प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन -**परियोजना द्वारा वहन किया जाएगा

14.वित्त पोषण के स्रोत:

परियोजना समर्थन;	, पूंजीगत लागत का 50% सामग्री की खरीद के लिए होगा गड्ढे के निर्माण के लिए उपयोग किया जाएगा (आकार 20 फीट X 4 फीट X 2 फीट होगा) , एसएचजी बैंक खाते में 1 लाख रुपये तक की धनराशि जमा की जाएगी। , प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल	गड्ढे का निर्माण कार्य किसके द्वारा किया जाएगा संबंधित डीएमयू/एफसीसीयूसभी कोडल औपचारिकताओं का पालन करने के बाद।

	उन्नयन लागत.	
जी योगदान	, पूंजीगत लागत का 50% वहन किया जाएगा इसमें शेड/शेड निर्माण की लागत शामिल है। , आवर्ती लागत स्वयं सहायता समूह द्वारा वहन की जाएगी	

15.बैंक ऋण चुकौती

यदि ऋण बैंक से लिया जाता है तो यह नकद ऋण सीमा के रूप में होगा और सीसीएल के लिए कोई पुनर्भुगतान अनुसूची नहीं है; हालांकि, सदस्यों से मासिक बचत और पुनर्भुगतान रसीद सीसीएल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए।

- , सीसीएल में, स्वयं सहायता समूह के बकाया मूल ऋण का भुगतान वर्ष में एक बार बैंकों को पूर्ण रूप से किया जाना चाहिए। ब्याज राशि का भुगतान मासिक आधार पर किया जाना चाहिए।
- , सावधि ऋणों में, पुनर्भुगतान बैंकों में पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार किया जाना चाहिए।

16. प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन

प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन लागत परियोजना द्वारा वहन की जाएगी।

निम्नलिखित कुछ प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/कौशल उन्नयन प्रस्तावित/आवश्यक हैं:

,परियोजना अभिविन्यास समूह गठन/पुनर्गठन

,समूहों की अवधारणा और प्रबंधन

,आईजीए (सामान्य) का परिचय

,विपणन और व्यवसाय योजना विकास

,बैंक ऋण लिंकेज और उद्यम विकास

,एसएचजी/सीआईजी का एक्सपोजर दौरा - राज्य के भीतर और राज्य के बाहर

17.निगरानी तंत्र

,वीएफडीएस की सामाजिक लेखा परीक्षा समिति आईजीए की प्रगति और प्रदर्शन की निगरानी करेगी तथा प्रक्षेपण के अनुसार इकाई का संचालन सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देगी।

,एसएचजी को प्रत्येक सदस्य के आईजीए की प्रगति और प्रदर्शन की समीक्षा भी करनी चाहिए तथा प्रक्षेपण के अनुसार इकाई का संचालन सुनिश्चित करने के लिए यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देना चाहिए।

समूह सदस्यों की तस्वीरें -

श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान)श्रीमती. जयवंती (सचिव)　　श्रीमती कविता (सदस्य)

श्रीमती किरण कुमारी (सदस्य) श्रीमती हरपति (सदस्य)　　श्रीमती राम कुमारी (सदस्य)

निकिता कुमारी(सदस्य)　　श्रीमती सुदेश कुमारी (सदस्य) राम देवी (सदस्य)

श्रीमती चेरिग डोल्मा (सदस्य) श्री राजेश्वरी (सदस्य)

समूह का सहमती पत्र

आज दिनाकं .....दुर्गा माता स्वयम–सहायता समूह जानी में बैठक हुई यह बैठक प्रधान श्रीमाती सुनीता देवी की अध्यक्षता में हुई। आज बैठक में यह चर्चा की सभी सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि जाईका वन विभाग की तरफ से जो धन राशि मिलेगी उसका उपयोग केछुआ खाद बनाने के लिए किया जाएगा। जिसके लिए सभी सदस्यों की सहमती प्रकट की है इस बैठक में सभी सदस्यों ने भाग लिया ।

प्रधान
दुर्गा स्वयं सहायता समूह जानी,
तह० निचार, जिला किन्नौर (हि०प्र०)

समूह के सचिव के हस्ताक्षर
सचिव
दुर्गा स्वयं सहायता समूह जानी,
तह० निचार, जिला किन्नौर (हि०प्र०)

Project for Improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management and Livelihoods

Memorandum of Understanding

Between

The .....Vami.....Village Forest Development Society/ BMC Sub Committee

And

The Forest Department (represented by DFO Kinnaur)for Participatory Forest Management.

Whereas

- The ...Vami.....Village Forest Development Society/ BMC Sub-Committee (hereinafter called "Society") has been constituted as per procedure described in the HP PFM Regulations notified by Govt. of HP vide No. FFE-C (9) 1/2001 dated 23.8.2001 and vide No.FFE-B-F (5) 5/2016- Pam III dated 19.11.2018, by the Villagers of...Vami..village Forest Development Society/ BMC Sub-Committee in district Kinnaurand Forest Division..Kinnaur. Himachal Pradesh and has an elected Executive Committee (hereinafter called "EC"),

- as part of the Japan International cooperation Agency (JICA) supported "Project For Improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems Management and livelihoods" (hereinafter called -Project") the Micro plan (Forest Ecosystems Management Plan & Community Development & Livelihood Improvement Plan) for Forest Management and Community Development (hereinafter called "Plan") for Forest protection, rehabilitation and management of the specified forest areas has been jointly prepared by the Society and the Forest Division

- the Plan contains details of program for conservation, management and development of forest areas, Biodiversity conservation, Livelihood improvement works and also the description of equitable distribution of usufructs obtained from allocated forest areas and public resources of the ward/village;

- the Plan has been approved by the Officer in Charge of the Forest Division (here- in after called "Forest Officer") on behalf of Government of Himachal Pradesh;

Now here with

The ...Kinnaur..... Forest Division and the Society have mutually agreed on this MoU, and consequently. This MoU is executed with the following articles;

1. **Purpose of the Memorandum of Understanding**

This Memorandum of Understanding (hereinafter called -Man details the responsibilities of the Society regarding management and protection of forest areas) and village(s) resource development, in the manner specified in the Plan and for equitable disttribution of benefits amongst its members. It further details payments and support to be provided by the project and the associated conditions.

2. Responsibilities of the Society

2.1 With regard to its Constitution, working, powers, duties and benefits, the Society agrees to act in accordance with the HP Government Notification No. FFE-B-F (9) 1/2001 dated 23.8.2001 and vide No.FFE-B-F (5) 5/2016- Part- III dated 19.11.2018, and other relevant Government orders and instructions.

2.2 The Society agrees to provide all necessary assistance to the Forest Officer in selection of forest area(s) to be allotted to it for forest management and development so that there is no dispute regarding areas of common use of nearby villages.

2.3. The Society agrees to prepare and submit general house approved, quarterly physical & financial plans with budget requirements to FTU concerned for releasing funds after Plan's approval from PMU.

2.4. The Society agrees to identify Community Development Activities (CDAs) in conformity with the CDA guidelines, decide on these through a consultative process and implement them according to the relevant standards as applicable.

2.5. The Society agrees to carry out works laid out in the Plan for the forest area (such as planting, fencing, maintenance and protection) and in doing so, follow the principles of management of forest and wildlife specified therein, also taking into account the guidelines of the Government, prevalent legal provisions and technical principles. The Society will ensure that no existing acts/rules of forest/wildlife management are being violated.

2.6. The Society agrees to contribute membership fee through its members/user groups. The amount with interest will be available to VFDS/BMC (Sub-Committee) after project closure and can be used by VFDS/BMC (Sub-Committee) consensus. The amount deposition to be done within six months.

2.7. The Society agrees, after completion of the related works, to protect the forest area from fire, illicit grazing, illicit felling, and illicit transport. Illicit mining, encroachments and poaching and shall help the forest department in this regard.

2.8. The Society agrees to pass the information regarding person(s) engaged in banning the wild animals and forests or those engaged in illegal activities on to the Forest Department. The Society agrees to help forest employees in apprehending such person(s) and provide all possible assistance in protecting any seized produce etc.

2.9 The Society agrees to rectify any shortcomings found during review of its works by the Forest Officer/monitoring agency.

2.10 The Society agrees to keep accounts of income and expenditure of the funds from various sources and also to get regular annual audits done by the agency assigned by the Forest Officer.

2.11. The Society agrees to maintain the records specified by the project regularly and in prescribed formats.

2.12. The Society agrees that the distribution of products and services generated as a result of implementation of the Plan among its members/User Groups is done in an equitable manner. If the Forest Officer points out any mismanagement or irregularity in the equitable distribution of such products and services, then the

- Society agrees to implement the necessary corrections/improvements suggested by the Forest Officer.

2.13. Society agrees to ensure that there will be no miss utilization of funds provided by Forest Department for implementing project activities.

2.14. Society will open two accounts of VFDS/BMC (Sub-Committee), One for FEMP implementation (FE Account) and second one as; revolving fund under Livelihood activities (CD&LI Account).

2.15 The funds and maintenance of account would be in accordance with Para-36 to 43 of the Bye-laws notified by Govt. on dated 19-11-2018 for VFDS under the Project.

3. Responsibilities of the Forest Department

3 1. The Forest Department will provide to the Society the related input materials required to carry out the works specified in the Plan, such as saplings, fencing materials, etc. in a timely manner.

3.2. The Forest Department will provide the payments specified in the Plan to the Society for implementation of works carried out in the forest area on the basis of the Plan in a timely manner. The Society to prepare and submit general house approved, six monthly physical & financial plans with budget requirements to DMU through FTU concerned for release of funds. DMU to release the fund to the VFDS/BMC (Sub-Committee)

3.3. Funds from other department's schemes as the Panchayat may be able to garner/ converge, may also be used for activities that help meet the project's objectives.

3.4. The Forest Department shall provide the necessary advice and guidance to the Society for implementation of works carried out in the forest area on the basis of the Plan.

3.5 The Forest Department shall NOT be responsible for any loss in any of the works related to implementation of the Plan and no claim of any sort can be presented against Forest Department.

3.6 Forest Department will take legal action against any mis appropriation of fund by VFDS/BMC (Sub-Committee).

4. Support by the Project

4.1. The Project will provide funds for Community Development & Livelihood activities (CDAs) identified by the Society and in conformity with the CD&LIP guidelines, which will be implemented by the Society.

4 2. The Project will provide to the Society if required the related input/materials required to carry out the works specified in the Plan, such as saplings, fencing materials, etc. in the required qualities and quantities.

4.3. The Project will provide to the Society the payments specified in the Plan for implementation of works carried out in the PFM area on the basis of the Plan.

4.4. The Project will provide to the Society members training and other capacity building measures, as well as support for income generating activities as specified in the Plan.

4.5. The funds earmarked for Plantations, soil and water conservation. Biodiversity conservation etc..willbecredited into the VFDS/BMC (Sub-Committee) bank account according to six-month plan requirement (prepared from Micro plan)of VFDS/BMC (Sub-Committee).In addition, VFDS/BMC (Sub-Committee) to open an account for Livelihoods activity.

4.6. Payment and receipt of project funds will be strictly by means of cheques online payment/RTGS etc. or bank transfers to the account of the Society. Society will further distribute fund similarly.

5. Rights and Benefit Sharing

5.1. The Rights of right holders as admitted in the Forest Settlement will remain unaffected due to constitution of the Society and will continue to be exercised as heretofore.

5.2. The Benefits which Society members and their user groups will be entitled to after closure of plots / patches in the forest for various project interventions are as follows:

i) to collect the yield such as fallen twigs, branches, lopping, grass, bamboos, fruits, flowers, seeds, leaf fodder and non- timber forests products free of cost through individual or collective arrangements as decided by the Society;

ii) to the sale proceeds of all intermediate harvest, subject to protection of forest and plantations for at least 3 years from the date of agreement;

iii) to organize and promote vocational activities related to forest produce and land; and other activities such as promotion of self-help groups which may provide direct benefits, including micro-lending to women. None of the activities so promoted shall affect the legal status of the forest land;

iv) recorded rights over the forest shall not be affected by these benefits;

v) after 5 years. the Society may expand the area, on the basis of a fresh agreement deed, by inclusion of adjoining or nearby areas:

vi) to utilize at least 40 percent of the sale proceeds on forest regeneration activities including soil and water conservation.

provided that for the purpose of usufruct, the usufruct sharing family shall be one unit.

5.3 The Society will be entitled to their share of payments from intermediate and final felling,

whenever they take place in this forest, as laid out in the PFM Regulations of HP, 2001,

6. Monitoring & Evaluation

6.1 Monitoring and Evaluation of project activities will be done at different levels, including by the EC, a participatory monitoring committee and an independent third party apart from Project authorities.

6.2. The EC of VEDS/BMC (Sub-Committee) or any of its members will monitor progress and quality of work during execution of various works. The Member Secretary will record the date, places and names of EC members who checked the work(s) and whether works were satisfactory and any instructions given.

6.3. A participatory monitoring committee made up of members of the Society, a member from the Panchayat as well as a representative from the Forest Department (e.g. Deputy RO) will on quarterly basis review objectives, inputs and work progress and report to the whole Society. Their reports will then be sent to the Forest Officer for further action.

6.4. Where Society groups have carried out or are responsible for activities like social fencing, fire prevention, plantations or maintenance of plantations, annual monitoring will be carried out by Project-approved monitors (Third Party) and the results of this monitoring linked to release of payments, a) for social fencing in lieu of barbed wire fencing, b) for fire prevention as specified in the Plan and c) for survival in forest plantations as given in the agreed to norms for thatactivity.

6.5. Settlement of Disputes: Settlement of disputes and conflict resolution will be governed as laid out under para 47, 48 and 49 of the Bye Laws notified by GoHP.

Memorandum of Understanding

We are aware that the benefits mentioned in this agreement shall be available to the Society only when it discharges its duties, responsibilities and works in a satisfactory manner and this is certified by the Forest Officer every year. However, if the Forest Officer fails to fulfill conditions mentioned in Para 3 and 4 of this agreement and this is a cause for the Committee not able to discharge its responsibilities and works, and then it will be kept in mind while evaluating the works of the Committee every year.

I ......RAVENDRA SINGH., President,......... ....Jani............... Joint VFDS/BMC

(Sub-committee), declare on behalf of the Society, that I am committee to follow all the conditions mentioned I this MOU ad am singing this memo after reading/understanding all conditions mentioned herein, literally and I their original meaning.

(Name and Signature of the President)
On behalf of VFDS/ BMC (Sub-committee)

प्रधान
ग्राम वन विकास कमेटी जानी,
डा० निचार, ज़िला किन्नौर (हि०प्र०)
26/4/2022

Divisional Forest Officer
Kinnaur Forest Officer
On behalf of HPFD)

Witness: Village Forest Development Society /BMC (Sub-committee) and the Forest Department for Participatory Forest Management.

1. Sushil Kumar
2. सुनीता देवी
3. Veena Kumari
4. Sant Ram

1 ~~FTU officer cum RFO~~, (Position) undertake, on behalf of Kinnaur Division Forest Department to implement all duties responsibilities of the Forest Department mentioned in this memorandum.

Range Forest Officer
B/Nagar Range

(Name and Signature of the Divisional Forest Officer or other officer authorized by him) On behalf of Kinnaur Forest Department.

Kinnaur Forest Division
At R/Peo

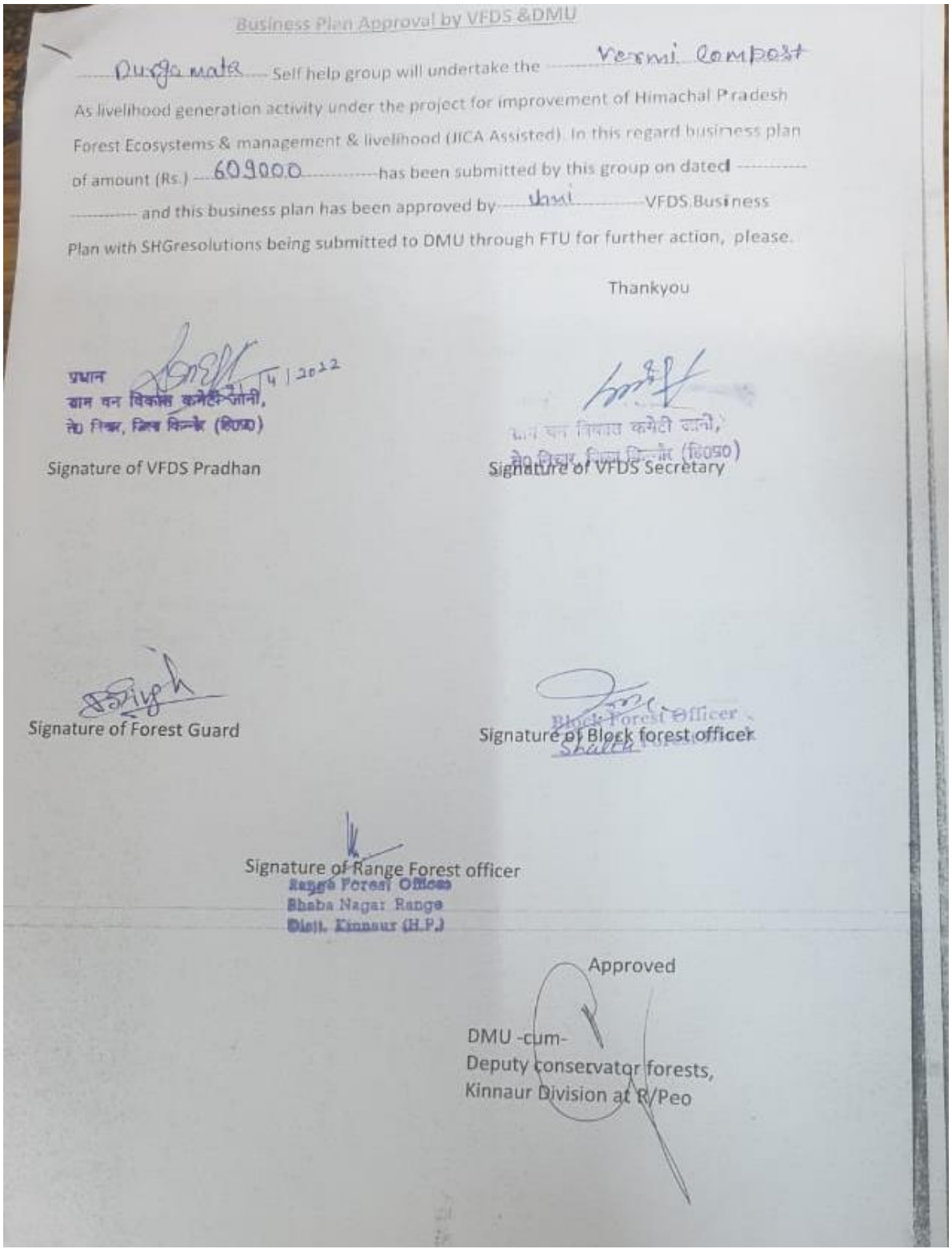

Business Plan Approval by VFDS &DMU

Durga mata Self help group will undertake the Vermi Compost As livelihood generation activity under the project for improvement of Himachal Pradesh Forest Ecosystems & management & livelihood (JICA Assisted). In this regard business plan of amount (Rs.) 609000 has been submitted by this group on dated ---------- and this business plan has been approved by Jani VFDS.Business Plan with SHGresolutions being submitted to DMU through FTU for further action, please.

Thankyou

प्रधान
ग्राम वन विकास कमेटी जानी,
तेह निचार, जिला किन्नौर (हि०प्र०)
4 | 2022

Signature of VFDS Pradhan

ग्राम वन विकास कमेटी जानी,
तेह निचार, जिला किन्नौर (हि०प्र०)

Signature of VFDS Secretary

Signature of Forest Guard

Block Forest Officer
Shalla

Signature of Block forest officer

Signature of Range Forest officer

Range Forest Officer
Bhaba Nagar Range
Distt. Kinnaur (H.P.)

Approved

DMU -cum-
Deputy conservator forests,
Kinnaur Division at R/Peo

Resolution-cum-group consensus form

It is decided in the General House meeting of the Self Help Group Durga mata......held on ....at......Jani........................that our self help group will undertake the Vermi Compost as livelihood income generation activity under the project for improvement of Himachal Pradesh.

Forest Ecosystem Management & Livelihoods. (JICA Assisted.)

Signature of Group Pradhan

प्रधान
दुर्गा स्वयं सहायता समूह जानी,
तह० निचार, जिला किन्नौर (हि०प्र०)

Signature of Group Secretary

सचिव
दुर्गा स्वयं सहायता समूह जानी,
तह० निचार, जिला किन्नौर (हि०प्र०)